


:: कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर ::

-: संशोधन-आदेश :-

इस कार्यालय द्वारा जारी निम्नांकित प्रारूप-8 में जारी आदेश (कॉलम संख्या 2 में वर्णित) के द्वारा जारी सेवानिवृत्ति सम्बन्धी आदेश में निम्नानुसार आंशिक संशोधन एतद् द्वारा जारी किया जाता है :-

क्रं सं	आदेश क्रमिक शिविरा/माध्य / संस्था.....	नाम अधिकारी मय पद एवं पदस्थापन स्थान (सर्व श्री/श्रीमती....)	जन्म तिथि	सेवा निवृत्ति तिथि	आंशिक - संशोधन
1	2	3	4	5	6
1	सी-2/31853 /सेवानिवृत्ति/ 2017 दि० 10-07-2017	श्रीमती गायत्री जोशी, प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, धोली मगरी मावली जिला उदयपुर	18-09-1957	30-09-2017	सेवानिवृत्ति सम्बन्धी आदेश में पदनाम व्याख्याता- इतिहास के स्थान पर प्रधानाचार्य तथा पदस्थापन स्थान राउमावि भुवाणा उदयपुर के स्थान पर राउमावि० धोली मगरी- मावली जिला उदयपुर पढा जावे।
2	सी-7/10908 /सेवानिवृत्ति/ हिन्दी/2015-1 6दिनांक 27-03-2017	श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा, प्रधानाचार्य, राउमावि० राजपुरा रेलमगरा जिला राजसमन्द	03-10-1957	31-10-2017	सेवानिवृत्ति सम्बन्धी आदेश में क्रम संख्या-41 पर अंकित कार्मिक का पदनाम व्याख्याता- हिन्दी के स्थान पर प्रधानाचार्य तथा पदस्थापन स्थान राउमावि शाहबाद-अलवर के स्थान पर राउमावि० धोली राजपुरा-रेलमगरा राजसमन्द पढा जावे।
3	संस्था/बी-2/ 45002/से०नि / 2017-18/ समेकित दिनांक 13-02-2017	श्री सुरेन्द्र कुमार कायथ, प्रधानाचार्य राउमावि० ठंडी (21/23 एनपी) जिला श्रीगंगानगर	07-09-1957	30-09-2017	सेवानिवृत्ति सम्बन्धी आदेश में क्रम संख्या-450 पर अंकित कार्मिक का नाम सुरेन्द्र कायथ के स्थान पर सुरेन्द्र कुमार कायथ पढा जावे।
4	संस्था/सी-5 /सेवानिवृत्ति/ 2016 दि 23-02-2017	श्री राधेश्याम चम्पावत, प्रधानाचार्य राउमावि बरुन्दनी-माण्डलगढ जिला भीलवाडा	20-07-1957	31-07-2017	सेवानिवृत्ति सम्बन्धी आदेश में क्रम संख्या-05 पर अंकित कार्मिक का पदनाम व्याख्याता-भूगोल के स्थान पर प्रधानाचार्य-राउमावि तथा पदस्थापन स्थान राउमावि बरुन्दनी-माण्डलगढ जिला भीलवाडा पढा जावे।


शेष शर्तें पूर्व आदेशानुसार यथावत रहेगी।


 संयुक्त निदेशक-कार्मिक
 माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
 बीकानेर

क्रमांक :: शिविरा/मा/संस्था/बी-2/से.नि.-संशोधन/45002/2017-18 दिनांक : 03-08-2017

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

01. संबंधित उपनिदेशक(माध्यमिक/प्रारम्भिक)
02. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक/प्रारम्भिक)
03. संबंधित संयुक्त निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग,
04. सिस्टम एनालिस्ट(संयुक्त निदेशक)कार्यालय हाजा को अपलोडिंग हेतु।
05. संबंधित संस्था प्रधान/संबंधित कार्मिक
06. रक्षित/निजी पंजिका


 संयुक्त निदेशक-कार्मिक